



585

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2006/84</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी</p>
<p>27.05.2006</p>	<p>खण्डपीठ अजीत सिंह राजावत, सदस्य सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य</p> <p>पगावली पेठा हुई। अपील 02 व अपील 02 वकील अनुपस्थित।</p> <p>हस्तगत प्रकरण अत्यन्त पुराना प्रकृति का है एवं मठल के समक्ष वर्ष 2006 से विचाराधीन है। प्रकरण में प्रार्थी वकील डॉ. रेवों के नोटिस Regd AD पेश नहीं किये। आज भी प्रार्थी व प्रार्थी वकील को बार-बार आवाजे लगावाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी इस अपील को अब और आगे नहीं चलाना चाहते हैं।</p> <p>अतः हस्तगत अपील/2006/84 अदम तामिल / अदम तकमील में खारिज की जाती है। पगावली फसल शुमार होकर शाखिल दफतर हों।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="357 1792 682 1982"> <p> सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</p> </div> <div data-bbox="876 1724 1218 1960"> <p> सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</p> </div> </div>	